कार्यालय जिला पंचायत अशोकनगर (मध्यप्रदेश)

Email:- ceozpash-mp@mp.nic.in Phone no. 07543220030 Fax- 220469

क्र0...../जि.पं./वाहन शाखा./2017 अशोकनगर दिनांक04/09/2017

7/89

वाहन किराये पर लिये जाने की प्रमुख शर्तें

1. पाक्षिक अथवा मासिक अवधि के लिये वाहन किराये पर लेने हेतु मॉडल (02 वर्ष) से अधिक पुराना नही होना चाहिये दर्शाते हुये टेण्डर कार्यालय जिला पंचायत द्वारा आमंत्रित कियें जावेगें।
2. वाहन प्रदाता से अनुबंध कराते समय सुरक्षा निधि के रूप में एक माह के किराये के बरावर राशि एफ.डी. के रूप में जमा कराई जावे, जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापिसी योग्य होगी ।
3. वाहन किराये की औसत मासिक दर **(बुलेरो)** रू. 20000/– एवं **(स्कार्पियो,सफारी)** की दर रूपये 25000/–की सीमा तक कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की सकेगी।
4. वाहन की प्रति लीटर डीजल की औसत खपत **(बुलेरो) 12 कि.मी. एवं (स्कार्पियो,सफारी) 10 कि.मी.**से कम मान्य नही होगी, इससे कम औसत होने पर वाहन प्रदाता की क्षतिपूर्ति की जबावदारी होगी ।
5. वाहन की प्रति लीटर डीजल को छोडकर वाहन के संधारण होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–टूयूब, लुब्रीकेन्टस आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
6. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान पर भी ले जाया जा सकेगा। वाहन के चालक का यह कर्तव्य होगा, कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशो का पालन करें।
7. वाहन सेल्फस्टार्ट होना आवश्यक है वाहन में स्टेपनी चारो पाहियो के टायर टूयूब व माइलोमीटर उत्तम एवं चालू हालत में होने की जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
8. वाहन प्रदाता वाहन मय चालक के उपलब्ध करायेगा। वाहन चालक के पास नियमानुसार टेक्सी चालक हेतु, बैध एवं जीवित ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदाता स्वंय वहन करेगा। वाहन प्रदाता चालक का समस्त वेतन भुगतान न्यूनतम् निर्धारित बेसिक दर पर करेगा।
9. वाहन चालक को वाहन के पंजीकरण, बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस आदि कागजात वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन टेक्स पेड वाहन प्रदाता के स्वामित्व का होना चाहिये। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन स्वामी उसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्चे का वहन करेगा।
10. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में समान्यतः 02 घण्टे में सुधरा कर पुनः उपयोग हेतु वहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। 02 घण्टे से अधिक वाहन खराब

रहने पर उस दिन का किराया भुगतान नही किया जावेगा। खराब वाहन को गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

11. वाहन प्रदाता अपने स्वयं के उपयोग के लिये यदि वाहन चाहता है तो उसे उपयोगकर्ता अधिकारी को 15 दिन पूर्व लिखित में सूचित करना होगा । अन्य वाहन की व्यवस्था न करने पर यदि कार्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर वाहन लिया जाता है, तो उस स्थिति में अतंर की राशि वाहन प्रदाता को देय राशि से समायोजित कर ली जावेगी ।
12. वाहन प्रदाता को उपयोगकर्ता अधिकारी के मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा मांग अनुसार लगातार 03 दिवस तक वाहन प्रदाय नही किये जाने एवं शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूमि राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी।
13. यदि वाहन प्रदाता अनुबंध अवधि कि दौरान किसी कारण वश वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो उसे 01 माह पूर्व सूचना देनी होगी।
14. वाहन चालक द्वारा संबधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई, यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में करना होगा। प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. माईलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
16. वाहन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति, किसी न्यायलय द्वारा आदेशित की जाती है, तो उसकी सम्पूर्ण जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।
17. वाहन किराये पर लेने पर संबधित धारणकर्ता अधिकारी से शासन के निर्देशों के नियमानुसार प्रतिमाह कटौती की जावेगी।
18. वाहन जिला पंचायत के अधिपत्य में रहेगा।
19. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अद्योहस्ताक्षर कर्ता का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत अशोकनगर

d/rajputji/sanket/new bhan vigapti